

**बिहार विधान सभा में पूछा जानेवाला अतारांकित प्रश्न**

<p>श्रीमती पूनम देवी यादव, मा० स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं०-पुन-10 के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p align="center"><b>प्रश्न</b></p>	<p align="center"><b>उत्तर</b></p>
<p>क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत वर्ष 1974 में गंगा नदी के भीषण कटाव से विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा खगड़िया अंचल अन्तर्गत आवास बोर्ड में 700 अदद एवं परती जमीन पर थाना सं०-268 सन्हौली मौजा खाता नं०-124, के अर्जित भूमि पर नामी और बेनामी प्रभावित परिवार को बसाया गया है; यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आवास एवं खाली परती जमीन पर 30 वर्ष से बसे परिवार को विधिवत खाली भूमि एवं आवास को आवंटित करने हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>इस जिला के खगड़िया अंचलान्तर्गत वर्ष 1971-72 में गंगा नदी के भीषण कटाव से रहीमपुर मौजा के नयाटोला, सोनवर्षा एवं बरखंडी टोला के करीब 700 विस्थापित परिवारों में से गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों को चिन्हित करते हुए 690 प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा वर्ष 1978 में बसाया गया । कालान्तर में यह बात सामने आई कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ । इस मामले को लेकर तत्कालीन समाहर्ता, खगड़िया के अवैध कब्जा हटाने के पूर्व में दिये गए निर्देश के आलोक में सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में वाद सं०-3HC/2003 चल रहा है । इस वाद के अधीन कुल 67 व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया गया है एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया /अंचल अधिकारी, खगड़िया से उचित विस्थापितों की पहचान करते हुए सूची की मांग की गई है, जो उन्हें अप्राप्त है । 72 व्यक्तियों को अवैध दखल कब्जा खाली करने का नोटिस निर्गत किया गया है एवं 13 व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध कब्जा को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है । अवैध कब्जा को खाली कराने के उपरांत ही शेष छोटे हुए प्रभावित परिवारों को भूमि/आवास आवंटन की कार्रवाई की जाएगी ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०अता०प्र०-57/2013/...../आ०प्र० दिनांक -

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक -12453 दिनांक -13.04.2013 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०स०अता०प्र०-57/2013/.....<sup>4509</sup>...../आ०प्र० दिनांक - <sup>4/10/13</sup>

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी